



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना धामपुर

दिनांक- 08.03.2025

थाना धामपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 86/25 धारा 299/353(2) बीएनएस व धारा 66 आईटी एक्ट से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 07.03.2025 को सोशल मीडिया प्लेटफार्म (एक्स) पर एक पोस्ट प्राप्त हुई जिसमें थाना धामपुर निवासी एक युवक द्वारा आपत्तिजनक धार्मिक टिप्पणी संबंधित एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लगाई गई थी ।

जांच के दौरान उक्त युवक की पहचान आरिस अहमद पुत्र निसार अहमद निवासी ग्राम कुण्डीपुरा थाना धामपुर जनपद बिजनौर के रूप में हुई । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर

थाना धामपुर पर 86/25 धारा 299/353(2) बीएनएस व धारा 66 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही:-

थाना धामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त आरिस अहमद पुत्र निसार अहमद निवासी ग्राम कुण्डीपुरा थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया व अभियुक्त के कब्जे से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आरिस अहमद पुत्र निसार अहमद निवासी ग्राम कुण्डीपुरा थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।

बरामदगी विवरण-

एक मोबाइल फोन

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 प्रदीप कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
- 2.मुख्य आरक्षी प्रदीप कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना धामपुर

दिनांक- 08.03.2025

थाना धामपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 84/25 धारा 137(2)/352 बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 01.03.2025 को वादिनी ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त शिवम पुत्र राकेश पाण्डेय वादिनी की पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया व अभियुक्त की माता द्वारा वादिनी के साथ गाली-गलौच की गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर 84/25 धारा 137(2)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया।



स्थानीय पुलिस द्वारा दिनांक 06.03.2025 को अपहृता को बरामद किया गया तथा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग मे धारा 64 बीएनएस व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई।

कार्यवाही:-

थाना धामपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 84/25 धारा 137(2)/352/64 बीएनएस व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त शिवम पुत्र राकेश पाण्डेय नि0 जिजौली थाना मधुबन जनपद मऊ हाल निवासी झुग्गी झोपडी चमगादड टापू निकट हर की पौडी, हरिद्वार को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शिवम पुत्र राकेश पाण्डेय नि0 जिजौली थाना मधुबन जनपद मऊ हाल निवासी झुग्गी झोपडी चमगादड टापू निकट हर की पौडी, हरिद्वार

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 बिजेन्द्र कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
- 2.मुख्य आरक्षी कुलदीप कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना कोतवाली शहर

दिनांक- 08.03.2025

**थाना को0 शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 203/25 धारा
85/115(2)/352/324(4)/109(1) बीएनएस व धारा 3/4 डीपी एक्ट से संबंधित 02
अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 07.03.2025 को वादी ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि वादी की बहन के ससुरालीजन 1.करमजीत पुत्र होरी सिंह, 2.शीतल पुत्र होरी सिंह, 3.सन्धिया पत्नी शीतल, 4.मन्जीता पुत्री होरी सिंह, 5.भोल व 6.राहुल समस्त निवासीगण ग्राम कम्भौर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा दहेज की मांग को लेकर वादी की बहन, वादी एवं वादी के परिजनो के साथ लाठी-डन्डो आदि से मारपीट की गई ।



प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 203/25 धारा 85/115(2)/352/324(4)/109(1) बीएनएस व धारा 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही:-

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.करमजीत पुत्र होरी सिंह, 2.शीतल पुत्र होरी सिंह उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- 1.करमजीत पुत्र होरी सिंह निवासी ग्राम कम्भौर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
- 2.शीतल पुत्र होरी सिंह निवासी ग्राम कम्भौर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 विरेन्द्र सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
- 2.आरक्षी गुलाब सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
- 3.आरक्षी संदीप सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नगीना देहात

दिनांक- 08.03.2025

थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 48/25 व मु0अ0सं0 49/25 से संबंधित कुल 08 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 07.03.2025 को वादी शमीम पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी ग्राम सरफुद्दीन नगर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ने थाना नगीना देहात पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.रहीश अहमद पुत्र अब्दुल रशीद, 2.फुरकान पुत्र नदीम, 3.सलमान पुत्र मर्दान, 4.गुलफान पुत्र रहीश निवासीगण ग्राम सरफुद्दीन नगर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर द्वारा जान से मारने की नियत से वादी व वादी के पुत्र के साथ लाठी-डण्डों आदि से मारपीट की गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 48/25 धारा 115/109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।



दिनांक 07.03.2025 को ही वादी रहीश अहमद पुत्र अब्दुल रशीन निवासी ग्राम सरफुद्दीन नगर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ने थाना नगीना देहात पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.शमीम पुत्र गफ्फार, 2.नईम पुत्र गफ्फार, 3.कफील पुत्र गफ्फार व 4.वसीम पुत्र नईम निवासीगण ग्राम सरफुद्दीन नगर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर द्वारा जान से मारने की नियत से वादी व अन्य लोगों के साथ लाठी-डण्डो आदि से मारपीट की गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 49/25 धारा 115/109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही:-

थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 48/25 धारा 115/109(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्तगण 1.रहीश अहमद पुत्र अब्दुल रशीद, 2.फुरकान पुत्र नदीम, 3.सलमान पुत्र मर्दान, 4.गुलफान पुत्र रहीश व मु0अ0सं0 49/25 धारा 115/109(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्तगण 1.शमीम पुत्र गफ्फार, 2.नईम पुत्र गफ्फार, 3.कफील पुत्र गफ्फार व 4.वसीम पुत्र नईम निवासीगण ग्राम सरफुद्दीन नगर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर समस्त निवासीगण ग्राम सरफुद्दीन नगर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया तथा घटना में प्रयुक्त 04 लकड़ी के डण्डो को बरामद किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

मु0अ0सं0 (48/25) उपरोक्त मे गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- 1.रहीश अहमद पुत्र अब्दुल रशीद निवासी ग्राम सरफुद्दीन नगर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
- 2.फुरकान पुत्र नदीम निवासी ग्राम सरफुद्दीन नगर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
- 3.सलमान पुत्र मर्दान निवासी ग्राम सरफुद्दीन नगर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
- 4.गुलफान पुत्र रहीश निवासी ग्राम सरफुद्दीन नगर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।

मु0अ0सं0 (49/25) उपरोक्त मे गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. शमीम पुत्र गफ्फार निवासी सरफुद्दीननगर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
- 2.नईम पुत्र गफ्फार निवासी ग्राम सरफुद्दीननगर थाना नगीना देहात जनपदबिजनौर ।
- 3.कफील पुत्र गफ्फार निवासी ग्राम सरफुद्दीननगर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
- 4.वसीम पुत्र नईम निवासी ग्राम सरफुद्दीननगर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।

बरामदगी विवरण-

- 1.दो लकडी के डन्डे (संबंधित मु0अ0सं0 48/25)
- 2.दो लकडी के डन्डे (संबंधित मु0अ0सं0 49/25)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 त्रिवेन्द्र सिंह थाना नगीना देहात बिजनौर ।
- 2.हे0का0 537 सुनील मलिक थाना नगीना देहात बिजनौर ।
- 3.हे0का0 750 अंकित राघव थाना नगीना देहात बिजनौर ।
- 4.हे0का0 97 सलीम जावेद थाना नगीना देहात बिजनौर ।
- 5.का0 1065 राजू सागर थाना नगीना देहात बिजनौर ।
- 6.का0 2020 विनय कुमार थाना नगीना देहात बिजनौर ।
- 7.का0 2583 दिनेश कुमार थाना नगीना देहात बिजनौर ।
- 8.का0 1299 नितिन थाना नगीना देहात बिजनौर ।
- 9.का0 1935 विपिन कुमार थाना नगीना देहात बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना स्योहारा

दिनांक- 08.03.2025

थाना स्योहारा पुलिस ने मु0अ0सं0 81/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 07.03.2025 को वादी ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी के नलकूप से मोटर चोरी कर लिया गया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर 81/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया । अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्त हर्ष पुत्र अमीचंद निवासी ग्राम सुरा नंगला थाना स्योहारा जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश मे आया ।



कार्यवाही:-

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त हर्ष पुत्र अमीचंद निवासी ग्राम सुरा नंगला थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को उपरोक्त घटना मे चोरी किये गए नलकूप के मोटर व चोरी करने के उपकरण (चाबी,पाना व पिलास) सहित गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

हर्ष पुत्र अमीचंद निवासी ग्राम सुरा नंगला थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।

बरामदगी विवरण-

चोरी किया गया नलकूप का मोटर व चोरी की घटना मे प्रयुक्त उपकरण (चाबी,पाना व पिलास)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 अरूण कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 2.आरक्षी अमित भाटी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 3.आरक्षी रजनीश थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।